Title: Need to enhance quota of Foodgrains to Maharashtra State.

श्री विट्ठल तुपे (पुणे): सभापति महोदय, लक्षय निर्धारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू होने से पहले महाराष्ट्र सरकार को केन्द्र सरकार के द्वारा सार्वजनिक ि वतरण प्रणाली के तहत तकरीबन १.५० लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध होता था किन्तु नई व्यवस्था के लागू होते ही केन्द्र सरकार ने इस मासिक कोटे को घटाकर १.२५ लाख मीट्रिक टन कर दिया जिसमें से ६०,००० मीट्रिक टन केवल गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए रखा गया। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार का कोटा पिछले १० वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त किए कुल खाद्यान्न के औसत के बराबर कर दिया। जैसा कि विदित है कि पिछले कई वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खुले बाजार की कीमतों में कोई खास अन्तर नहीं था जिसके कारण राज्य सरकार ने वितरण प्रणाली के लिए अधिक मात्रा में खाद्यान्न नहीं उठाया लेकिन केन्द्र सरकार ने उसी को आबंटन का माध्यम बनाया जो कि आज लोगों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता।

महोदय, राज्य सरकार के बार-बार आग्रह करने पर केन्द्र सरकार ने दिसम्बर १९९७ में लगभग १०,००० मी. टन चावल एवं १५,००० मी. टन गेहूं का अतिरिक्त आबंटन किया। इसके पश्चात फिर जनवरी, फरवरी एवं मार्च में भी लगभग ५०,००० मी. टन गेहूं एवं १०,००० मी. टन चावल का अतिरिक्त आबंटन किया तब जाकर लोगों को सुचारू रूप से खाद्यान्न प्राप्त हो सका। अतः मेरा अनुरोध है कि इस अतिरिक्त आबंटन को हमेशा के लिए नियमित कर दिया जाए ताकि सा र्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त हो सके।